संख्या : 3203 /आठ–1–11–07एलडी.ए./2011

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास
परिषद, लखनऊ।

(2) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(3) अध्यक्ष,
समस्त विशेष विकास क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 19 दिसम्बर, 2011

विषय : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण।

महोदय

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश दिनांक 23.11.1994, 31.08.1998 एवं 17.12.1999 द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित एवं आवासीय/व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में योजित **रिट याचिका सं0–7373(एम.बी.)/08 सुरेश कुमार कनौजिया बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य तथा रिट याचिका सं0–7807(एम.बी.)/08 सुरेश कुमार कनौजिया बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य** में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक्विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया है:–

1. केवल व्यवसायिक सम्पत्तियों की नीलामी में यह व्यवस्था रखी जाय कि बोलीदाता सुसंगत अभिलेखों के साथ इस आशय का स्वयं का शपथ–पत्र संलग्न करेगा कि उसकी हैसियत ऐसी है कि वह बोली में सफल होने पर सम्पत्ति के आवंटन के फलस्वरूप अपेक्षित भुगतान करने में सक्षम है।

2. यह अपेक्षा सभी वर्गों के बोलीदाताओं के लिए होगी, चाहें वे आरक्षित वर्ग के हों अथवा अनारक्षित ।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार
सचिव

संख्या–3263 (1)/आठ–1–2011, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त सम्बन्धितों को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
3. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शम्भू नाथ)
उप सचिव